

M  
29/7/26

38/0

टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत  
संख्या: 415828 /III(2)/2026-ई0-30723/2022

CE(P)

प्रमुख अभियन्ता  
लो0नि0वि0

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 27 जुलाई, 2026

SSO(P)I

विषय: टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र/विक्रामखण्ड चक्राता में गौरछा सम्पर्क मार्ग से विहार गुफा पर्यटक मथल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (प्रोजेक्ट आई0डी 7637)

सहोदय,

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

परोक्ष विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन (E-DPR), जिसमें मोटर मार्ग की लम्बाई 1.500 किमी0 की लागत ₹ 48.98 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 48.98 लाख (रुपये अड़तालीस लाख अठानव्वे हजार मात्र) की प्रशामकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणनों में उल्लिखित करें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में भिन्न हैं अथवा बाजार भाव में ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट में न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- मड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-I/276791/2025 ई पत्रावली संख्या- 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व मुनिश्चित किया जाय।
- पट्टाड कटान से पूर्व नाप भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय।
- पट्टाड कटान से पूर्व नाप भूमि का मुआवजा वर्तमान मार्केल रेट पर प्राप्त करने हेतु ग्राम वामियों के साथ आवश्यक सहमति/अनुबन्ध-निष्पादित कर लिया जाय।
- शासनादेश सं0 125 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं 341 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुमूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनव्यय तथा उपयोग) अधिनियम 2013 का पालन मुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें अधिक से अधिक लाभ अनुमूचित जनजाति के परिवारों/व्यक्तियों को प्राप्त हो। अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग



- की होगी।
- vii. इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेंगे कि उक्त कार्य जहाँ के लिये स्वीकृत किया गया है, वह कार्य उमी गांव व स्थान में हुआ है। जिसका अधिक से अधिक लाभ अनु0जनजाति के ही परिवारों/व्यक्तियों को ही हुआ है। इस सम्बन्ध में विभाग अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें।
- viii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- ix. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक श्रतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- x. निर्माण कार्य को समयवद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशामी अभियन्ता का होगा।
- xi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- xii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य तजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करने समय पालन करना सुनिश्चित करें। वजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- xiii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उमी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- xiv. यदि विषयगत कार्यों को लोक निर्माण विभाग के वजट से अथवा अन्य विभागीय वजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xv. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के मुसंगत नियमों, वजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xvi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के मापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय मंगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xvii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करने समय या आगणन गठित करने समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का वजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत मंगल अलॉटमेन्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-31 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा मैनुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य



सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -02 नया निर्माण कार्य-53 बृद्ध निर्माण (5054-04-800-03-02 में स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश विन अन्तर्भाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/415412/2026 दिनांक 22 जुलाई, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
Mahaveer Singh Chauhan  
Date: 23-07-2026  
10:36:49

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)  
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. विन अन्तर्भाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. अधिभासी अभियन्ता, अ.ख., लोक निर्माण विभाग, चक्रगता।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा में  
अपर सचिव



वजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या 1/415828/2026  
अनुदान संख्या 031

आवंटन आई डी 5260/0310016  
आवंटन पत्र दिनांक 27 JUL 2026

लेखा शीर्षक

5054 सड़क तथा सेतुओं पर पुंजीगत परिवर्धन  
337 सड़क निर्माण कार्य  
00

04 जिला तथा ग्राम सड़कें  
02 नया निर्माण कार्य

Voted

| 5               | 0 | 5 | 4 | 0 | 4              | 3 | 3                | 7 | 0             | 2 | 0     | 0 |
|-----------------|---|---|---|---|----------------|---|------------------|---|---------------|---|-------|---|
| मानक मद का नाम  |   |   |   |   | पूर्व में जारी |   | वर्तमान में जारी |   | अब तक का व्यय |   | योग   |   |
| 53-सड़क निर्माण |   |   |   |   | 0              |   | 10000            |   | 0             |   | 10000 |   |
| योग             |   |   |   |   | 0              |   | 10000            |   | 0             |   | 10000 |   |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक- 923/20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक- 01 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, ०१ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता, १० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चक्राता।
- आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,

कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, देहरादून

